UPHSSP
Excellence in health care...

UP Health Systems Strengthening Project

Training Block-2, State Institute of Health & Family Welfare
Block-C, Indira Nagar, Lucknow-226016 (U.P.)
Phone: 91-522-2354318, Fax 91-522-2340538, email: pd.uphssp@gmail.com

Short Term Tender Notice

Date: 29/07/2016

UP Health Systems Strengthening Project invites tender for Hiring of an Agency for Passenger Vehicles on monthly/daily basis for Office use. The details of the bids and bid formats can be downloaded from our **website i.e. uphssp.org & uphealth.up.nic.in.**

The bids can also be obtained from our office during office hours. The last date & time for submission of the sealed bid is 17/08/2016 at 3:00 PM. The bids will be opened on the same day at 3:30 PM in the office of the Project Director, UPHSSP, Lucknow.

Project Director

उ. प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थिनिंग परियोजना
प्रशिक्षण ब्लाक – 2, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान
ब्लाक–सी, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226 016 (उ.प्र.)
फोन : + 91–522–2354318 फैक्स + 91–522–2340538 ई–मेल : pd_uphsdp@sify.com

पत्रांक 1315 / पी0एस0यू0 / 58–वाहन व्यवस्था / 2016–17 दिनांक 29 .07.2016

निविदा मूल्य रू0 500.00

मासिक एवं दैनिक किराये पर वाहन (ईंधन तथा वाहन चालक सहित) अनुबन्ध पर लिये जाने हेतु निविदा प्रपत्र

उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना विश्व बैंक पोषित परियोजना है। परियोजना में आवश्यकतानुसार मासिक एवं दैनिक आधार पर तथा आउट स्टेशन यात्रा हेतु टैक्सी कोटे मे पंजीकृत वाहनों को एक वर्ष हेतु किराये पर लिया जाना है। निविदा प्रपत्र रू0 500.00 का डिमांड ड्राफ्ट, जो परियोजना निदेशक, यूपीएचएसएसपी, लखनऊ के पक्ष मे देय होगा, देकर परियोजना से प्राप्त किया जा सकता है। अथवा निविद प्रपत्र विभागीय वेवसाइट uphealth.up.nic.in तथा परियोजना की बेवसाइट uphssp.org से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है, जिसके साथ परियोजना निदेशक, लखनऊ के पक्ष मे देय रू0 500.00 का डिमांड ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है।

निविदा की अन्य नियम व शर्ते निम्न प्रकार हैं:–

1. मासिक एवं दैनिक किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का पूर्ण विवरण इस सूचना के साथ संलग्न "निविदा फार्म" एवं "निविदा फार्म–2" पर दिया गया है, जिसे निविदादाता को पूर्णरूप से भरकर फर्म के लेटर पैड पर निविदा सूचना की समस्त शर्तो को स्वीकार कर हस्ताक्षरित करते हुए प्रेषित करना है। सशर्त निविदायें स्वतः निरस्त मानी जायेंगी।
2. पूर्णरूप से भरे हुए मुहरबन्द निविदायें परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना, प्रशिक्षण ब्लाक–2, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, ब्लाक–सी, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016 को डाक से अथवा परियोजना कार्यालय में दिनांक 17.08.2016 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक अवश्य पहुंच जाने चाहिये।
3. प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह् 3:30 बजे परियोजना कार्यालय में खोले जायेगें। इच्छुक निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकते हैं।
4. उपरोक्त बिन्दु–2 में निर्धारित तिथि व निर्धारित समय के बाद विलम्ब से प्राप्त निविदाओं को कार्यालय द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा।
5. निविदा पूर्णतयः स्वच्छ, स्पष्ट भरा होना चाहिये। निविदा पर निविदादाता की मोहर व हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। अपूर्ण एवं अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा में कोट की गयी दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी तथा आपसी सहमति से अनुबन्ध इन्ही दरों पर आगे भी बढाया जा सकता है। डीजल / पेट्रोल में समय–समय पर सरकार द्वारा दर वृद्धि के लिए पृथक से निविदा दरों में कोई भी वृद्धि नहीं की जायेगी।
7. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का टैक्सी परमिट कम से कम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश हेतु वैध होना चाहिए तथा वाहन 03 वर्ष से अधिक पुराना न हो अर्थात वाहन का पंजीकरण जनवरी 2013 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
8. उपलब्ध कराये गये वाहन उपयोगकर्ता अधिकारियों की गरिमा के अनुरूप होने चाहिए ताकि अधिकारी को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

9. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन निविदा के अनुरूप नहीं पाया जायेगा तो एजेन्सी को अपने खर्चे पर इसे वापस लेकर उसके स्थान पर उसी मानक स्तर का दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
10. परियोजना के आदेश/निर्देश पर वाहन निविदादाता द्वारा उपलब्ध करानी होगी तथा आदेश/निर्देश के विरूद्व उपलब्ध कराये गये वाहनों का बिल सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित लाग बुक/डयूटी स्लिप के आधार पर माह की समाप्ति के उपरान्त अगले माह की 05 तारीख तक बिल भुगतानार्थ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका भुगतान परियोजना द्वारा बिल प्रस्तुंत करने के अगले 10 दिनों के अंदर किया जायेगा।
11. मासिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहनों के प्रतिदिन सत्यापन हेतु निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहन चालक के पास सम्बन्धित वाहन का लाग बुक हमेशा उपलब्ध रहे तथा निविदादाता द्वारा वाहन चालक को यह निर्देश दिया जाये कि लाग बुक सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षरित कराना सुनिश्चित करें।
12. प्रत्येक वाहन का माइलो मीटर चालू हालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म के देयक का भुगतान रोका जा सकता है।
13. उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर परियोजना की जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. वाहन का आन्तिरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिये, सीट कवर नये/धुले होने चाहिये तथा वाहन का एसी ठीक एवं चालू हालत मे होना चाहिये।
15. वाहन में किसी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नहीं लगायी जायेगी।
16. ट्रैवेल एजेंसी की सुविधा 24 घण्टे की होगी।. एजेन्सी को कम से कम 2 मोबाईल नम्बर, जो 24 घण्टे चालू हालत में हो, परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
17. ट्रैवेल एजेंसी से वाहन मॉगने पर समयान्तर्गत वाहन न उपलब्ध कराने पर फर्म के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है।
18. ट्रैवेल एजेन्सी का एक कार्यालय लखनऊ शहर क्षेत्र में भी होना चाहिए।
19. मासिक आधार पर अधिकारियों के साथ सम्बद्व वाहन द्वारा की गयी यात्रा का आने–जाने का विवरण समय सहित (स्थान एवं किमी0) का अंकन प्रतिदिन लागबुम में सम्बन्धित अधिकारियों/विश्व बैंक अधिकारियों द्वारा की गयी (लोकल/आउट स्टेशन) का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी/प्रभारी वाहन व्यवस्था द्वारा किया जायेगा।
20. वाहनों के किमी0 एवं समय की गणना परियोजना मुख्यालय, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, ब्लाक–सी, इन्दिरा लगर, लखनऊ से ही अनुमन्य होगी।
21. मासिक आधार पर लिये गये वाहन आवश्यकतानुसार कभी भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मंगाया जा सकता है।
22. वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये तथा वाहन चालक को अधिकारियो के साथ कार्य करने हेतु सामान्य शिष्टाचार का ज्ञान होना चाहिए।
23. परियोजना द्वारा एक माह की नोटिस के उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है तथा निविदादाता भी एक माह की नोटिस पर अपनी सेवायें स्थगित कर सकता है।
24. वाहन के मरम्मत अथवा सम्बन्धित अधिकारी के साथ सम्बद्व वाहन के ब्रेकडाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में ट्रेवेल एजेंसी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
25. ट्रैवेल एजेंसी द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में रू0 1000.00 प्रतिदिन की दर से पेनाल्टी के साथ–साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक किराये की बिल से कटौती की जायेगी।

26. रात्रि 10:00 बजे के बाद तथा प्रातः 6:00 बजे से पूर्व ड्राइवर द्वारा डयूटी करने पर ही नाइट चार्ज रू0 150.00 प्रति रात्रि देय होगा।
27. एक दिन (24 घण्टे) की गणना प्रातः 06:00 बजे से अगले दिन प्रातः 06:00 तक मान्य होगी।
28. वहन की मरम्मत, ईधन, चालक का वेतन तथा अन्य सभी वैधानिक देयों (सर्विस टैक्स छोड़कर) आदि की पूर्ण जिम्मेदारी सर्विस एजेन्सी की होगी। यह पृथक से देय नहीं होंगी।
29. पार्किंग एवं टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान किया जायेगा।
30. परियोजना द्वारा ट्रेवेल एजेंसी के देयकों से नियुमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
31. प्रोपराइटर फर्म के सम्बन्ध में प्रोपराईटर का नाम, पार्टनरशिप फर्म के सम्बन्ध मे पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड तथा कम्पनी एवं अन्य मामले में संस्था का मेमोरन्डम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
32. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
33. फर्म / कम्पनी / प्रोपराइटर / पार्टनर के पैनकार्ड की छायाप्रति।
34. फर्म / कम्पनी / प्रोपराइटर / पार्टनर के नाम से कम से कम 05 वाहन टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। प्रमाण हेतु वाहन रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।
35. निविदादाता फर्म का कम से कम 05 सरकारी / अर्द्ध–सरकारी विभाग / निजी संस्थानों में टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिए (छायाप्रति संलग्न करें)।
36. संस्था के प्रोपराइटर / पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर / कम्पनी के निदेशक द्वारा नोटरी का इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है कि संस्था की किसी भी क्रिमिनल केस में न ही कोई संलिप्तता है और न ही किसी न्यायालय में कोई क्रिमिनल केस लंबित है, तथा फर्म को उत्तर प्रदेश शासन के किसी विभाग अथवा संस्था / केन्द्रीय संस्थानों द्वारा काली सूची में नही डाला गया है।
37. निविदादाता द्वारा परियोजना निदेशक, यूपीएचएसएसपी, लखनऊ के पक्ष में धनराशि रू0 50,000.00 (पचास हजार मात्र) की बिड सिक्योरिटी, फिक्स डिपाजिट (15 माह) के रूप मे जमा करना अनिवार्य है। सफल निविदादाता के मामले मे उक्त बिड सिक्योरिटी को जमानत राशि के रूप में मान लिया जायेगा।
38. अनुबंध की शर्तों का उल्लंधन करने पर ट्रैवेल एजेन्सी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है, बिलों का भुगतान रोका जा सकता है तथा एजेन्सी को काली सूची मे डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
39. फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2012–13, 2013–14, 2014–15) में न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर रू0 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) प्रति वर्ष होना चाहिये।
40. एक निविदादाता द्वारा केवल एक ही निविदा डाली जायेगी।
41. परियोजना निदेशक के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
42. निविदा सम्बन्धी किसी भी विवाद के निपटारे का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

43. निविदा मूल्यांकन की विधि :–

अ) मासिक आधार पर मांगे गये वाहनों हेतु

1. भाव पत्र का मूल्यांकन 2000 किमी0 हेतु कोटेड मूल मासिक दर तथा अतिरिक्त किमी0 500 (काल्पनिक) के आधार पर आंकलित किया जायेगा अर्थात Monthly Rate+(Extra Km. 500 x Extra Km. Rate) = Final Avaluated Rates होगा।

2. माह में 2000 किमी0 से अधिक वाहन चलने पर निविदादाता द्वारा अतिरिक्त किमी0 हेतु कोटेड दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
3. कोट की गयी दरों एवं एक्सट्र किमी0 की दी गयी दरों को जोड़ने के उपरान्त जो न्यूनतम दरें आयेगी, उन्हे ही न्यूनतम दरे मानी जायेंगी।
4. सर्विस टैक्स प्रचलित दर से पृथक रूप से देय होगा।

ब) दैनिक आधार पर मांगे गये वाहनों हेतु

1. 12 घंटे से अधिक समय व्यतीत होने पर 24 घंटे की दरें स्वतः लागू हो जायेगी।
2. लखनऊ से बाहर आउट स्टेशन यात्रा 24 घंटे की दरें स्वतः लागू हो जायेगी। निविदादाता द्वारा अतिरिक्त किमी0 हेतु निविदा प्रपत्र–1 कोटेड दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
3. सर्विस टैक्स प्रचलित दर से पृथक रूप से देय होगा।

अपर परियोजना निदेशक

निविदा फार्म –1

मासिक आधार पर सम्पूर्ण माह के लिए जाने वाले टैक्सी कोटे मे पंजीकृत की वाहन हेतु दरे :–

क्0सं0	वाहन का विवरण / श्रेणी	मसिक दर 2000 कि0मी0 पूरे माह हेतु (रू0 में)	अतिरिक्त किमी0 की दर (रू0 मे)
1	हाण्डा सिटी ए0सी0		
2	टोएटा इनोवा ए0सी0		
3	एम्बेसडर ए0सी0		
4	टोयटा इटीऑस ए0सी0		
5	मरूती स्वीफ्ट डिजायर ए0सी0		
6	टाटा मान्जा ए0सी0		
7	टाटा इंण्डिगो ए0सी0		
8	टाटा इण्डिका ए0सी0		

नोट :– 1 प्रत्येक श्रेणी मे निविदा का मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन 2000 किमी0 हेतु कोटेड मूल मासिक दर तथा अतिरिक्त किमी0 500 (काल्पनिक) के आधार पर आंकलित किया जायेगा अर्थात MONTHLY RATE +(EXTRA KM.500X EXTRA KM RATE=FINAL EVALUATED RATES) होगा।

2. निविदा सूचना में वर्णित समस्त नियम व शर्तें हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार है।

स्थान :

सर्विस एजेन्सी का हस्ताक्षर मोहर सहित

दिनांक :

निविदा फार्म –2

फर्म का नाम एवं पता :–

दैनिक आधार पर लोकल/आउट स्टेशन यात्रा हेतु लिये जाने वाले टैक्सी कोटे मे पंजीकृत वाहन हेतु दरें:

क0सं0	वहन का विवरण/श्रेणी	दर 12 घण्टे अथवा 100 कि0मी0 हेतु (लोकल यात्रा हेतुं) (रू0 मे)	दर 24 घण्टे अथवा 200 कि0मी0 हेतु (लोकल/आउट स्टेशन यात्रा हेतुं) (रू0 मे)
1	2	3	4
1	हाण्डा सिटी ए0सी0		
2	टोएटा इनोवा ए0सी0		
3	टाटा इंण्डिगो ए0सी0		
4	टाटा इण्डिका ए0सी0		

नोट :–1 अतिरिक्त किमी0 की दर वही होगी जो मासिक दर में अतिरिक्त किमी0 के लिए कोट की जायेगी।

2. निविदा सूचना में वर्णित समस्त नियम व शर्तें हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार है।

स्थान :

सर्विस एजेन्सी का हस्ताक्षर मोहर सहित

दिनांक :